

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठारसीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 26/2023

उनवान

1. श्री देवी लाल पुत्र श्री गुल्ला रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

वनाग

1. श्री रूपा पुत्र श्री खेगा रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. रतन लाल पुत्र श्री भेरु रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. डूगराम पुत्र श्री भेरु रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. जोधा पुत्र श्री किशाना रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. जानू दत्तक पुत्र भूरा रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. नारायण पुत्र श्री नगजी रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. लादु पुत्र श्री नगजी रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. रामेश्वर पुत्र श्री डालू रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. लादू लाल डालू रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. कन्हैया लाल पुत्र श्री लक्ष्मण रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. किशन पुत्र श्री परथु रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. देवी पुत्र श्री कजोड रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
13. रतन लाल पुत्र श्री भेरु रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
14. रामलाल पुत्र श्री देवी रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
15. दयाराम पुत्र श्री देवी रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
16. हीरा पुत्र श्री गोकल रेगर नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
17. वशी पुत्र श्री गांगा सालवी नि० औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
18. गोपाल पुत्र श्री उकार रेगर नि० कविनगर रेल्वे स्टेशन हमीरगढ।
19. शकर लाल पुत्र श्री उकार रेगर नि० कविनगर रेल्वे स्टेशन हमीरगढ।
20. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 12.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 30.01.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा प.ह. औज्याडा भू.अ.नि. औज्याडा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 210 की आ.न. 1876/2 रकवा 0.2529 है०, आराजी नम्बर 1889/2 रकवा 0.1644 है०, आराजी नम्बर 1891/1 रकवा 0.3288 है०, कुल कित्ता 03 रकवा 0.7461 है०, खाता संख्या 219 में आराजी संख्या 1733 रकवा 0.0759 है०, आराजी नम्बर 1736 रकवा 0.0759 है०, आराजी नम्बर 1747/2 रकवा 0.0885 है०, आराजी नम्बर 1764/3 रकवा 0.0885 है०, आराजी नम्बर 1892/1 रकवा 0.1897 है०, आराजी नम्बर 1973 रकवा 0.5817 है० कुल कित्ता 6 कुल रकवा 1.1002 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संवधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 19 वावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

-:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते है कि माग औज्याडा प.स. औज्याडा भू.अ.नि. औज्याडा तह. हमीरगढ़ जिला भीलवाडा में उराके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 210 की आ.न. 1876/2 रकवा 0.2529 है0, आराजी नम्बर 1809/2 रकवा 0.1644 है0, आराजी नम्बर 1891/1 रकवा 0.3288 है0, कुल कित्ता 03 रकवा 0.7461 है0, खाता संख्या 219 में आराजी संख्या 1733 रकवा 0.0759 है0, आराजी नम्बर 1736 रकवा 0.0759 है0, आराजी नम्बर 1747/2 रकवा 0.0885 है0, आराजी नम्बर 1764/3 रकवा 0.0885 है0, आराजी नम्बर 1892/1 रकवा 0.1897 है0, आराजी नम्बर 1973 रकवा 0.5817 है0 कुल कित्ता 6 कुल रकवा 1.1002 है0 भूमि स्थित है जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रकिया के अनुरार की जाये तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 12.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौरत शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़